# उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

## आदेश पत्रक

**परमिशन अपील वाद संख्या – 29/2021**

**लाली देवी बनाम् झारखण्ड राज्य एवं नन्दलाल महतो**

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख |
|---|---|---|
| **02-04-2022** | **आदेश** | |

इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी लाली देवी, पति–श्री सहदेव महतो, निवासी ग्राम–सोसोकला एवं सोसोखुर्द थाना–गोला, जिला–रामगढ़ ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 215 के तहत् भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के द्वारा परमिशन वाद संख्या 64/2018–19 लाली देवी बनाम हुलसी देवी में दिनांक 04.03.2021 को पारित आदेश विरूद्ध अपील दायर करने पर प्रारम्भ की गई। वाद को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के अभिलेख की मागं की गई एवं विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, लिखित कथन, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, लिखित कथन, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि का मामला उभय पक्षों के बीच बंटवारा को लेकर है, जो स्वत्व (**Ownership**) से संबंधित है। जिसका निपटारा इस न्यायालय से संभव नही है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय के आदेश से अन्यथा आदेश करना न्यायोचित नही है। अतः अपीलार्थी द्वारा दिये गये अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

माधवी मिश्रा
02.04.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
02.04.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.11.11 14:55:17 +05:30
Location: 192.168.0.9